217

संख्या — /XXXVI(1)/2013–43 एक(1)/2003

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 10 अप्रैल, 2013

विषय– अपर महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड को देय फीस में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–08/XXXVI(1)/(एक) 2008–43–एक (1)/2003 दिनांक 07.01.2008 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल हेतु आबद्ध अपर महाधिवक्ता को दिनांक 01.01.2013 से निम्नलिखित दरों पर फीस दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–	रिटेनर फीस नियत	₹ 15,000/– (₹ पन्द्रह हजार मात्र) प्रति माह
2–	मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष पैरवी/बहस करने की फीस (चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)	₹ 10,000/– (₹ दस हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–03–महाधिवक्ता–00–16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–05 NP/XXVII(5)/13-14 दिनांक 05.04.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

क्रमशः–2

संख्या–1269/XXXVI(1)/2013–43 एक(1)/2003 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5– समस्त अपर महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव